

Establishment Branch-1
Dairy No. 5392
Dated 16/8/16

Establishment Branch-1
Dairy No.
Dated
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय, हरियाणा
सामान्य प्रशासन विभाग

PS/DFS
Receipt No. 3243
Date 16/08/16

सरकारी आदेश

क्रमांक 22/70/2016-1जीएस 11A

दिनांक : 11.8.2016

सेवा में

1. हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रशासकीय सचिव।
2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष।
3. रोहतक, गुडगांव, हिसार एवं अम्बाला मण्डलों के आयुक्त।
4. सभी बोर्डों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी मुख्य प्रशासक तथा प्रबन्धक निदेशक।
5. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
6. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)।
7. हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार।

DR (Bus)
Poovala
16/8/16
DR (Bus)

विषय:-

हरियाणा राज्य के चण्डीगढ़/पंचकूला में स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी तथा चण्डीगढ़/पंचकूला तथा मोहाली में निवास करने वाले हरियाणा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना व अपने आश्रितों का रिहायशी/जाति प्रमाण पत्र बनाने से सम्बन्धित प्रक्रिया को सुचारु बनाने बारे।

महोदय/महोदया,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान सरकार की हिदायतें क्रमांक 22/28/2003-3जी0एस011A, दिनांक 30.01.2004, समसंख्यक दिनांक 17.06.2004 तथा हिदायतें क्रमांक 22/132/2013-1जी0एस011A, दिनांक 21.03.2014 की ओर दिलाऊँ जिनमें विभागाध्यक्षों को जाति प्रमाण पत्र तथा रिहायशी प्रमाण पत्र जारी करने बारे अधिकृत किया गया था। सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवेदन प्राप्त हो रहे थे कि हिदायतें दिनांक 30.01.2004 के पैरा 3 में यह भी उल्लेख किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया रिहायशी प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक प्रमाण पत्र धारक अपना पता हरियाणा राज्य में बनाये रखेगा।


2. यदि प्रमाण पत्र धारक हरियाणा राज्य से बाहर के निवास स्थान का पता देगा तो कथित प्रमाण पत्र अवैध हो जायेगा, दूसरे शब्दों में अगर कोई कर्मचारी/अधिकारी हरियाणा राज्य से बाहर अपना निवास स्थान बनाता है तो वह हरियाणा राज्य का निवासी नहीं माना जायेगा जबकि हिदायतें क्रमांक 62/17/95-6 जी.एस.1, दिनांक 03.10.1996 के द्वारा हरियाणा राज्य से सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को भी राज्य का बोनाफाईड रैजिडेंट माना गया है चाहे वे सेवानिवृत्त उपरान्त अपना निवास स्थान राज्य से बाहर रखें।

3. अतः हरियाणा राज्य के चण्डीगढ़/पंचकूला में स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी तथा चण्डीगढ़/पंचकूला तथा मोहाली में निवास करने वाले हरियाणा राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को अपना व अपने आश्रितों का रिहायशी/जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही कठिनाई के दृष्टिगत नीति की समीक्षा की गई है।

6/8/16

4. अब यह निर्णय लिया गया है कि इन हिदायतों में सामंजस्य बनाने हेतु पूर्व में जारी हिदायतें क्रमांक 22/28/2003-3जी0एस0111, दिनांक 30.01.2004, समसंख्यक दिनांक 17.06.2004 तथा हिदायतें क्रमांक 22/132/2013-1जी0एस0111, दिनांक 21.03.2014 के संदर्भ में हरियाणा राज्य के जो कर्मचारी/अधिकारी चण्डीगढ़/पंचकूला में स्थित कार्यालयों में कार्यरत हैं तथा चण्डीगढ़/पंचकूला तथा मोहाली में निवास करते हैं, वे सभी सेवानिवृत्त होने उपरान्त अपना व अपने आश्रितों का रिहायशी/जाति प्रमाण पत्र अपने पैतृक विभाग जहां से वे सेवानिवृत्त हुये हैं, बनवा सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने अन्य राज्यों से सेवानिवृत्ति उपरान्त अपना व अपने आश्रितों का रिहायशी प्रमाण पत्र न बनवाया हो तथा अन्य राज्यों से रिहायशी प्रमाण पत्र से सम्बन्धित कोई भी लाभ न लिया हो।

उपरोक्त हिदायतों की दृढता से पालना की जाये।



अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृ० क्रमांक 22/70/2016-1जीएस 111

दिनांक : 11.8.2016

इसकी एक-एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, चण्डीगढ़।
2. सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
3. प्रधानाचार्य, हरियाणा लोक प्रशिक्षण संस्थान, सेक्टर-16, पंचकूला।


अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

आन्तरिक वितरण

उपरोक्त निर्देशों को राज्य सरकार की वेबसाइट पर डालने के लिये एनआईसी प्रभारी उत्तरदायी होगा।


OFFICE OF DIRECTOR FOOD & SUPPLIES, HARYANA, CHANDIGARH

Endst. No. 6E(I)-2016/ 19039

Dated, Chandigarh, the 06/09/2016

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Officers/Branch Incharges at Hqrs.
2. All the District Food & Supplies Controllers in the State of Haryana.
3. DCLM, Haryana, Near Football Chowk, Ambala Cantt.


Superintendent (Estt.-I)
for Director Food & Supplies, Haryana